राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–978/2015/चित्तौड़गढ़

रूपसिंह पुत्र चतरसिंह राव निवासी सुरेडा तहसील डूंगला जिला चित्तौडगढ़ हाल निवासी गुप्तेश्वर नगर हिरण मगरी, सेक्टर–7 उदयपुर। ...प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डूंगला।
2. श्यामलाल चौधरी पुत्र लक्ष्मीलाल चौधरी निवासी ग्राम सुरेडा पोस्ट डूंगला जिला चित्तौडगढ़। ...अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :
श्री प्रदीप यादव
ब्रीफ हौल्डर ....प्रार्थी की ओर से
श्री डी.पी.ओझा
उप–राजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थी सं. 1 विभाग की ओर से
अनुपस्थित ....अप्रार्थी सं. 2

निर्णय दिनांक : 20.04.2017

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) भीलवाड़ा (जिसे आगे **'कलक्टर'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 30.03.2015 प्रकरण संख्या 15/2015 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने सिविल न्यायाधीश डूंगला जिला चित्तौड़गढ के आदेश दिनांक 20.11.2014 की पालना में प्रार्थी द्वारा दस्तावेजों को पूर्ण मुद्रांकित करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर दस्तावेज प्रस्तुत होने की तिथि को आधार मानकर मूल्यांकन करते हुए निष्पादन की तिथि से ब्याज आरोपित कर राशि जमा होने पर पूर्ण मुद्रांकित किये है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी सं. 2 श्यामलाल चौधरी के पूर्व पुरूष श्री उदाजी द्वारा विवादग्रस्त आराजीयात के बाबत मौजूदा निगराकार के पिता श्री चतरसिंह जी राव के पक्ष में विवादग्रसत आराजीयात जो कि ग्राम सुरेडा तहसील डूंगला जिला चित्तौडगढ में स्थित है के बाबत् पौष सूदी 15 सम्वत 2018 को विवादग्रस्त आराजीयात के बाबत 200/– रूपये लेकर विक्रय कर दी थी एवं उक्त आराजीयात के बाबत दस्तावेजों को निष्पादित कर विवादग्रस्त आराजीयात का कब्जा भी मौजूदा प्रार्थी के पूर्वजों को सुपूर्द कर दिया था। कालान्तर में विपक्षीगण द्वारा विवादग्रस्त आराजीयात के बाबत सिविल न्यायाधीश डूंगला के समक्ष एक वादं प्रस्तुत किया। उक्त वाद में मौजूदा निगराकार द्वारा अपना जवाबदावा प्रस्तुत कर विपक्षी के पूर्वजों द्वारा निष्पादित दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जिस पर सिविल न्यायालय डूंगला द्वारा उक्त दस्तावेज को पूर्ण मुद्राकित करने हेतु निर्देशित किया जिसकी पालना में प्रार्थी द्वारा कलक्टर मुद्रांक भीलवाडा के समक्ष दिनांक

26.11.2014 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेजों को पूर्ण मुद्रांकित करने हेतु निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 30.03.2015 द्वारा उक्त दस्तावेज की मालियत दिनांक 02.12.2014 को लागू डी.एल.सी. की दर से 2,08,000/– रूपये मानी एव उसी अनुरूप मूल्यांकन करते हुए उस पर स्टाम्प ड्यूटी 10,400/– व सरचार्ज 1040/– व दस्तावेज संवत् 2017 का निष्पादित होने के कारण निष्पादन की तिथि से 54 वर्ष 10 माह की अवधि का 12 प्रतिशत की दर से ब्याज 75,390/– रूपये आरोपित किया और कुल 86,830/– रूपये प्रार्थी से वसूलने के निर्देश दिये गये जो प्रार्थी द्वारा जमा करवाने पर दस्तावेज पूर्ण मुद्रांकित कर दिये गये। प्रार्थी ने उपरोक्त निर्णय के विरूद्व निगरानी इस आधार पर प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अधिक स्टाम्प ड्यूटी व ब्याज वसूल किया है जो वापिस लौटाया जावें।

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकार्ड व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 की ओर से उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद तामील अनुपस्थित रहे।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। कलक्टर (मुद्रांक) भीलवाडा के द्वारा तहसीलदार डूंगला से विवादग्रस्त आराजीयात के बाबत रिपोर्ट प्राप्त की गई एवं उनके द्वारा भेजी गयी मूल्यांकन रिपोर्ट को सर्वथा आधार बनाकर बिना अपना विधिक मस्तिष्क उपयोग में लिये बगैर मनमक्सूद तरीके से उक्त दस्तावेज का मूल्यांकन उक्त मूल्यांकन रिपोर्ट के सोल आधार पर किया गया है और उस पर शास्ति एवं मनमक्सूद तरीके से ब्याज आरोपित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह तो माना कि दस्तावेज 54 वर्ष पूर्व निष्पादित किया गया है परन्तु फिर भी विधि विपरीत तौर पर 54 वर्ष के हिसाब से 12 प्रतिशत वार्षित ब्याज वसूला गया है जो पूर्णतया विधि विपरीत है जब अधीनस्थ न्यायालय आज की तारीख का मूल्यांकन प्रार्थी से वसूल रहे थे तो उन्हें 54 वर्ष का ब्याज व शास्ति आरोपित नही करनी चाहिये थी। जैसाकि मौजूदा प्रकरण में किया गया है इस कारण भी आदेश जैर निगरानी काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को दौहरे मापदण्ड अपनाते हुये पिनालाईज किया गया है एक और तो वह सम्पत्ति का मूल्यांकन आज की स्थिति से कर रहे है एवं दूसरी ओर दस्तावेज पर 54 वर्ष का ब्याज वसूल रहे है इस कारण से आदेश जैर निगरानी काबिल निरस्तनीय है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

6. राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः निगरानी खारिज की जावें।

7. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

लगातार.....3

8. विचाराधीन प्रकरण में सर्वप्रथम इस बिन्दु पर विचार किया जाता है कि दस्तावेज को पूर्ण मुद्रांकित करने की कार्यवाही राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की किस धारा के अन्तर्गत हुई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध सिविल न्यायाधीश डूंगला जिला चित्तौडगढ के आदेश दिनांक 20.11.2014 के अनुसार प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी था तथा अपने जवाब में प्रार्थी ने विक्रय पत्र इकरार प्रस्तुत किये जिनके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रतिवादी तथाकथित दस्तावेजात को मूल्य निर्धारण हेतु कलक्टर मुद्रांक कार्यालय में पेश कर बाद प्रोपर स्टाम्प ड्यूटी व पेनल्टि के न्यायालय में पेश करें। इस आदेश की पालना में प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिनांक 26.11.2014 प्रस्तुत कर बही में लिखित दस्तावेज इकरारनामा को स्टाम्प तय करवाने हेतु निवेदन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मुद्रांक अधिनियम की धारा 35 के अन्तर्गत दर्ज किया है जबकि इस न्यायालय के विनम्रमतानुसार प्रकरण धारा 39 के अन्तर्गत आता है जो निम्न प्रकार है :–

39 - Instruments not duly stamped inadmissible in evidence, etc- No instrument chargeable with duty under this Act shall be admitted in evidence for any purpose by any person having by law or consent of parties authority to receive evidence, or shall be acted upon, registered or authenticated by any such person or by any public officer, unless such instrument is duly stamped: Provided that, -

(a) any such instrument shall, subject to all just exceptions, be admitted in evidence on payment of,-

(i) the duty with which the same is chargeable, or in the case of an instrument insufficiently stamped, of the amount required to make up such duty, and

(ii) a penalty of one hundred rupees or, ten times the amount of deficient portion thereof, which ever is higher.

(b) where a contract or agreement of any kind is effected by correspondence consisting of two or more letters and any one of the letters bears the proper stamp; the contract or agreement shall be deemed to be duly stamped.

(c) nothing herein contained shall prevent the admission of any instrument as evidence in any proceeding in a criminal court, other than a proceedings under Chapter IX or Part D of Chapter X of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974).

(d) nothing herein contained shall prevent the admission of any instrument in any court when such instrument has been executed by or on behalf of the Government or where it bears the certificate of the Collector as provided by section 36 or any other provision of this Act.

(e) nothing herein contained shall prevent the admission of a copy of any instrument or of an oral account of the contents of any instrument, if the stamp duty or a deficient portion of the stamp duty and penalty as specified in clause (a) is paid.

(f) nothing herein contained shall prevent the admission of any instrument in evidence in any court when stamp duty on such instrument has already been paid in advance in the form of a consolidated lump sum.

(g) nothing herein contained shall prevent the admission of any instrument in any court when such document has been executed by or on behalf of the Government or where it bears the Certificate of the Collector as provided by section 36 or any other provision of this Act.

लगातार.....4

उपरोक्त विधिक प्रावधान के अनुसार कोई दस्तावेज साक्ष्य हेतु तब तक ग्राह्य नहीं होगा जब तक वह सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है तथा सम्यक् रूप से स्टाम्पित होने पर साक्ष्य में ग्राह्य किया जा सकता है। विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी द्वारा सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद में अपने जवाब में उपरोक्त दस्तावेज पेश किये थे जो सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं होने के कारण उन्हें सम्यक् रूप से स्टाम्पित करने हेतु आदेशित किया गया था जिसकी पालना में प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। इस प्रकार यह प्रकरण धारा 39 के अन्तर्गत आता है।

9. अब इस बिन्दु पर विचार किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित राशि जमा करावाये जाने व दस्तावेज पूर्ण मुद्रांकित कर लौटाये जाने के पश्चात् राशि वापिस लौटाये जाने का प्रावधान है या नहीं। इस संबंध में राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 49 पर विचार किया जाता है। धारा 49 निम्न प्रकार है :–

49 - Power to refund penalty or excess duty in certa in cases

(1) Where any penalty is paid under section 39 or section 44, the Chief Controlling Revenue Authority may, upon a pplication in writing made within one year from the date of the payment, refund such penalty wholly or in part.

(2) Where, in the opinion of the Chief Controlling Revenue Authority, Stamp duty in excess of that which is legally chargeable has been charged and paid under section 39 or section 44, such authority may upon application in writing made within three months of the order charging the same, refund the excess.

उपरोक्त विधिक प्रावधान धारा 49(2) के अनुसार धारा 39 में यदि अधिक राशि उस शुल्क से, जो वैध रूप से प्रभार्य है, अधिक स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया है और धारा 39 या धारा 44 के अधिन संदत्त कर दिया है वहां मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी उस आधिक्य को वापिस कर सकता है यदि ऐसा आवेदन तीन मास के भीतर–भीतर लिखत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। चूंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.03.2015 का है तथा जैसा कि उपर बिन्दु संख्या 9 में विवेचना की जा चुकी है कि प्रकरण धारा 39 के अन्तर्गत आता है तथा निगरानी दिनांक 29.06.2015 को प्रस्तुत की गई है जो तीन माह के भीतर है, अतः प्रकरण में आधिक्य राशि वापिस लौटाये जाने की कार्यवाही की जा सकती है।

10. अब इस बिन्दु पर विचार किया जाता है कि प्रकरण में प्रार्थी से वसूली गई राशि नियमानुसार है या अधिक राशि वसूली गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार माननीय सिविल न्यायाधीश, डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ के आदेश दिनांक 20.11.2014 की पालना में प्रार्थी ने दस्तावेजों को पूर्ण मूद्रांकित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 26.11.2014 को प्रस्तुत किया है जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.12.2014 को प्राप्त किया गया है। दस्तावेज जेठ संवत 2017 के हैं जो कि ईस्वी वर्ष के अनुसार वर्ष 1960 के हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने पत्र क्रमांक 5919 दिनांक 05.02.2015 द्वारा उप–पंजीयक डूंगला से दिनांक 02.12.2014 को लागू डीएलसी के अनुसार मालियत

लगातार.....5

रिपोर्ट चाही। उप–पंजीयक डूंगला ने अपने पत्र क्रमांक 151 दिनांक 26.02.2015 द्वारा दिनांक 02.12.2014 को लागू डीएलसी के अनुसार 1600 वर्गफीट की मालियत 2,08,000/– रूपये मानी है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस रिपोर्ट के आधार पर मालियत 2,08,000/– रूपये मानते हुए मुद्रांक कर 10,400/– रूपये, अधिभार 1,040/– रूपये व दस्तावेज संवत 2017 का निष्पादित होने के कारण निर्णय दिनांक तक 54 वर्ष 10 माह 30 दिवस की अवधि का 12 प्रतिशत साधारण ब्याज 75,390/– रूपये निर्धारित करते हुए कुल 86,830/– रूपये वसूल किये गये है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय ने मूल्यांकन दस्तावेज प्रस्तुत होने की तिथि 02.12.2014 को लागू डीएलसी के आधार पर किया है जबकि ब्याज निष्पादन होने की तिथि से वर्तमान बाजार दर पर आरोपित किया है। इस न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दू यह है कि सम्पत्ती का मूल्यांकन वर्तमान बाजार दर से किया जाना चाहिए या निष्पादन होने की तिथि को प्रचलित बाजार दर से व साथ ही ब्याज कब से व कौनसे मूल्यांकन पर लगना चाहिए। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 2 (Xiii) के अनुसार ''निष्पादित'' और ''निष्पादन'' से तात्पर्य ''हस्ताक्षरित'' और ''हस्ताक्षर'' है। इस विधिक स्थिति के अनुसार दस्तावेज वर्ष 1960 में निष्पादित माने जायेंगे क्योंकि दस्तावेजों पर हस्ताक्षर संवत 2017 के हैं। धारा 39 के अन्तर्गत प्रस्तुत दस्तावेज के मूल्यांकन के संबंध में अधिनियम में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है परन्तु अधिनियम की धारा 17 जो निम्न प्रकार है :–

17 - Instruments executed in the State-
All instruments chargeable with duty and executed by any person in the State shall be stamped before or at the time of execution or immediately thereafter on the next working day following the day of execution.

के अनुसार दस्तावेज के निष्पादित होने से पूर्व या निष्पादित होने के समय स्टाम्पित किया जाना चाहिए। ब्याज के संबंध में धारा 72 है जो निम्न प्रकार है :–

72 - Interest on failure to pay duty, fee or penalty-
Where any amount of duty, fee or penalty is recoverable from a person as a result of any order passed in any proceedings under this Act (including determination, appeal, revision, rectification or otherwise) and such duty, fee or penalty is not paid by such person, he shall be liable to pay interest at the rate of 18 percent compounded per annum on the amount of duty, fee or penalty from the date of order until the date of payment of such amount.

के अनुसार इस अधिनियम में पारित आदेश के अन्तर्गत वसूलनीय राशि पर दस्तावेज के निष्पादन की तिथि से ब्याज देय है। यदि ब्याज के उपरोक्त प्रावधान व स्टाम्प ड्यूटी की देयता के प्रावधान को देखा जाये तो दस्तावेज का मूल्यांकन निष्पादन की तिथि से होना चाहिए व निष्पादन की तिथि से पंजीकृत करने की तिथि तक ब्याज आरोपित किया जाना चाहिए क्योंकि यह बात तो सामान्य विवेक के भी विपरित लगती है की मूल्यांकन वर्तमान बाजार दर से हो व उस पर ब्याज निष्पादन की तिथि से हो। इस संबंध में विभाग द्वारा जारी निम्न परिपत्र के संबंधित भाग का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा :–

लगातार.................6

परिपत्र संख्या – 07 / 2014

राजस्थान सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभगा राज.

''कर–भवन '' अजमेर

क्रमांक एफ.7(39)जन / 2013 / पार्ट–II 10378 दिनांकः 17.10.2014

परिपत्र

3. **धारा 39 में साक्ष्य में ग्राह्य कराने के लिए न्यायालय, अधिकरण या आर्बिट्रेटर के समक्ष प्रस्तुत अमुद्रांकित या अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी, बयाज एवं शास्ति की गणना–**

धारा 39 में प्रावधान है कि साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत प्राधिकारी (न्यायालय अधिकरण या आर्बिट्रेटर) या लोक प्राधिकारी अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित दस्तावेज को साक्ष्य में ग्राह्य नहीं करेगा, ऐसे दस्तावेज के आधार पर कोई कार्यवाही (act upon) नहीं करेगा, पंजीकृत नहीं करेगा और न ही सत्यापित करेगा।

इस सामान्य नियम की अपवाद है कि यदि दस्तावेज का पक्षकार उस दस्तावेज पर कमी मुद्रांक राशि एवं उस पर निष्पादन की दिनांक से दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से या ऐसी कमी राशि का 25 प्रतिशत, इनमे से जो भी अधिक हो किन्तु कमी राशि के दोगुने से अधिक नहीं हो, शास्ति की राशि का भुगतान कर दे तो ऐसे दस्तावेज को न्यायालय अधिकरण या आर्बिट्रेटर द्वारा साक्ष्य में ग्राह्य किया जा सकता है। इसके पश्चात् न्यायालय, अधिकरण या आर्बिट्रेटर द्वारा उसके द्वारा ली गई कमी मुद्रांक राशि व शास्ति की राशि सहित दस्तावेज की सत्यापित प्रति धारा 42 के तहत कलक्टर (मुद्रांक) को रैफर की जाती है।

धारा 39 के अधीन स्टाम्प ड्यूटी एंव पैनल्टी को पक्षकार द्वारा जमा कराये जाने पर न्यायालय, अधिकरण या आर्बिट्रेटर द्वारा धारा 46 के तहत उस दस्तावेज पर पृष्ठांकन द्वारा पूर्ण मुद्रांकन का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

I. स्टाम्प ड्यूटी की गणना – समपत्ति का मूल्यांकन दस्तावेज के निष्पादन की दिनांक को प्रभावी बाजार दरों से किया जाकर प्रचलित दर से स्टाम्प ड्यूटी की गणना की जावेगी।

II. ब्याज की गणना – धारा 44 के तहत निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी व सरचार्ज की राशि में से पूर्व में दस्तावेज पर भुगतान की जा चुकी स्टाम्प ड्यूटी व सरचार्ज की राशि घटाने पर शेष राशि पर दस्तावेज के निष्पादन की दिनांक से 12 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि दर से ब्याज की गणना की जावेगी।

III. शासित की गणना – धारा 44 के अन्तर्गत निर्धारित कमी स्टाम्प ड्यूटी या सरचार्ज की राशि पर निष्पादन की दिनांक से दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से या ऐसी कमी राशि का 25 प्रतिशत, इनमे से जो भी अधिक हो किन्तु कमी राशि के दोगुने से अधिक नहीं हो।

उपरोक्त परिपत्र से भी यह स्थिति स्पष्ट होती है कि विभाग के दिशानिर्देशों एवं विभाग जो कि इस अधिनियम की प्रशासनिक ईकाई है की भी यह धारणा है कि ऐसे प्रकरणों में दस्तावेज का मूल्यांकन दस्तावेज के निष्पादन की दिनांक को प्रभावी बाजार दरों से किया जाकर प्रचलित दर से स्टाम्प ड्यूटी की गणना की जानी चाहिए तथा ब्याज की गणना दस्तावेज के निष्पादन की दिनांक से 12 प्रतिशत वार्षिक चक्रवर्द्धि दर से गणना की जानी चाहिए। अधिनस्थ न्यायालय ने इस परिपत्र के अनुसार मूल्यांकन नहीं करते हुए दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने की दिनांक को प्रचलित बाजार दर से मूल्यांकन किया है तथा ब्याज का आरोपण दस्तावेज के निष्पादन की दिनांक से किया है जबकि दस्तावेजों जो कि घरेलू बही में लिखित है, में लेन देन की राशि 75/– रूपये व 200/– रूपये अंकित है जो अविश्वास योग्य नहीं कही जा सकती क्योंकि घरेलू लिखित में सम्पत्ती के बदले लेन देन की राशि कम लिखने का कोई उद्देश्य नहीं होता व फिर भी तत्समय बाजार मूल्य कुछ अधिक माना जाए तो भी तत्समय देय मुद्रांक कर बहुत कम बनता है जिस पर वर्ष 1960 से ब्याज का आरोपण किया जाए तो भी कुल वसूल योग्य राशि वर्तमान में वसूली गयी राशि से कम बनती है तथा इस प्रकार प्रार्थी द्वारा जमा करवायी गयी राशि अधिक है। अधिनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वें उपरोक्त परिपत्र की भावना के अनुरूप दस्तावेज के निष्पादन की दिनांक को प्रचलित बाजार दर के अनुसार मूल्यांकन कर मुद्रांक कर की गणना करते व उस पर निष्पादन की तिथि से ब्याज आरोपित करते। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है एवं निरस्त योग्य है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि वें उपरोक्त परिपत्र के अनुसार बाजार दर की गणना कर मुद्रांक कर की वसूली एवं ब्याज आरोपण दस्तावेज के निष्पादन की तिथि से करें।

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं होने के कारण निरस्त किया जाता है तथा निगरानी स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते हैं कि वें उपरोक्तानुसार की गयी विवेचना के अनुसार दस्तावेज के निष्पादित होने की तिथि वर्ष 1960 को प्रचलित बाजार दर के अनुसार मूल्यांकन करें तथा तद्नुसार मुद्रांक कर एवं ब्याज की देयता के संबंध में गणना कर जमा राशि में से कम कर शेष राशि प्रार्थी को वापिस लौटायी जावे। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.05.2017 को उपस्थित हों।

12. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य